संख्या–1264 / 9–आ–3–99–23 विविध / 99

प्रेषक **श्री अतुल कुमार गुप्ता,**
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में, **1. उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 24 मार्च, 1999

विषय : शहरी क्षेत्र में हरित पट्टी हेतु चिन्हित भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन से पूर्व वन विभाग की अनापत्ति के सम्बन्ध में राज्य वन नीति 1998।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा घोषित राज्य वन नीति 1998 के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि शहरी क्षेत्र में हरित पट्टी के लिए महायोजना में जो भूमि चिन्हित की जाती है, उस भू–उपयोग हरित पट्टी के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए न किया जाए। विशेष परिस्थितियों में हरित पट्टी के लिए चिन्हित भूमि का भू–उपयोग परिवद्रन किया जाना आवश्यक होने की स्थिति में वन विभाग की अनापत्ति के बिना न किया जाए।

कृपया इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या–1264(1) / 9–आ–3–99–23 विविध / 99 तददिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, वन को वन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–मु.सु.–20 / 14–2–1999, दिनांक 8 मार्च, 1999 के सन्दर्भ में
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ
3. समस्त नियम प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश
4. अतिरिक्त निदेशक, आवास बन्धु, विकास भवन, लखनऊ

आज्ञा से,
राजकुमार सिंह
अनुसचिव